

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/100/2024

रजू दिनांक: 05.08.2024

रजि0 न0 2024/176

अपीलार्थी:-

श्री राजेन्त तिवारी, अध्यक्ष नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति, 29-शंकर कॉलोनी, हीवा की गोरी, रागगंज बाजारा, जयपुर-302003 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 27.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2024 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/1668 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, कि आवेदन दिनांक 03.06.2024 के परिप्रेक्ष्य में चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के पूर्व पत्रांक लो0सू0अ0/आर.टी.आई./2024/1558 दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर विनिश्चय किया जाकर अपीलार्थी को भिजवाई जा चुके हैं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा पत्रांक 1558 दिनांक 12.08.2024 के द्वारा पूर्व में ही उक्त प्रकरण में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुके हैं साथ ही जरिये ई-मेल भी सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)